

एक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड को संचालित करने की शर्तें और नियम

(महत्वपूर्ण) - कृपया सुनिश्चित करें कि आप एक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करने से पहले इन स्मार्ट पे कार्ड की शर्तों और नियमों को ध्यान से पढ़ लें। स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करके आप यहां उल्लिखित शर्तों और नियमों को अनिवार्य रूप से स्वीकार कर रहे हैं और इनसे बंधे रहेंगे और आप संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विनियमों, RBI के तहत विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियम, अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियमों और विनियमों और समय-समय पर संशोधित/परिवर्तित/लागू नियमों और समय-समय पर लागू किसी अन्य समान अधिनियम के अनुपालन सुनिश्चित करने का भार स्वीकार करते हैं। आप अपने स्मार्ट पे कार्ड के संचालन की शर्तों और नियमों के अनुसार एक्सिस बैंक के साथ बंधे रहेंगे।

परिभाषाएँ

1. "द बैंक", "एक्सिस बैंक", का मतलब है एक्सिस बैंक लिमिटेड और इसके उत्तराधिकारी और अनुयायी।
2. "कार्ड" या "स्मार्ट पे कार्ड", का तात्पर्य एक्सिस बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किए गए एक्सिस बैंक वीज़ा/मास्टरकार्ड/रूपे घरेलू ओपन लूप स्मार्ट पे कार्ड से है।
3. "कार्डधारक", "आप", "आपका", "उन्हें" या इसी तरह के सर्वनाम, जहाँ संदर्भ की अनुमति हो, एक्सिस बैंक के उस ग्राहक को संदर्भित करेंगे जिसे एक्सिस बैंक द्वारा एक्सिस बैंक स्मार्ट पे कार्ड जारी किया गया है। कार्डधारक के किसी एक लिंग में सभी संदर्भ अन्य लिंग को भी शामिल करेंगे।
4. "ATM", भारत में स्वचालित नकद निकासी मशीन को संदर्भित करता है, चाहे वह एक्सिस बैंक का हो, या किसी अन्य बैंक का साझा नेटवर्क पर, जहाँ अन्य चीजों के साथ, कार्डधारक अपने स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करके अपने फंड्स तक पहुँच सकता है जो एक्सिस बैंक के साथ उसके स्मार्ट पे कार्ड में संग्रहित हैं।
5. "PIN" का अर्थ है व्यक्तिगत पहचान संख्या (जो ATM तक पहुँचने के लिए आवश्यक है) जिसे कार्डधारक को एक्सिस बैंक द्वारा आवंटित किया गया है, जिसे वह समय-समय पर चुनता है।
6. "लेन-देन", का अर्थ है कार्डधारक द्वारा अपने कार्ड का उपयोग करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक्सिस बैंक को स्मार्ट पे कार्ड पर कार्रवाई करने के लिए दिए गए किसी भी निर्देश। (लेन-देन के उदाहरणों में खुदरा खरीदारी, नकद निकासी शामिल हो सकते हैं।)
7. "व्यापारी" या "व्यापारी संस्थान", का अर्थ है ऐसे संस्थान जो कहीं भी स्थित हैं जो कार्ड को स्वीकार/सम्मानित करते हैं और इनमें अन्य चीजों के बीच: स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, एयरलाइन संगठन आदि शामिल हैं, जो एक्सिस बैंक या VISA/Mastercard/RuPay इंटरनेशनल द्वारा विज्ञापित हैं।
8. "EDC" या "इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर" इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों को संदर्भित करता है, चाहे वह एक्सिस बैंक का हो या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक का, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों से खरीद लेनदेन के लिए कार्ड खाते से डेबिट करने की अनुमति देते हैं।
9. "VISA" का अर्थ है एक ट्रेडमार्क जो VISA द्वारा स्वामित्व और सामान्यतः संबद्ध है।

10. "VISA ATM नेटवर्क", का अर्थ है ऐसे ATM जो स्मार्ट पे कार्ड का सम्मान करते हैं और जो VISA प्रतीकों को प्रदर्शित करते हैं।
11. 'RUPAY' का अर्थ है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क
12. 'मास्टरकार्ड', का अर्थ है मास्टरकार्ड द्वारा स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क। स्मार्ट पे कार्ड ("कार्ड") को एक्सिस बैंक लिमिटेड, ("एक्सिस बैंक लि.") द्वारा जारी किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय "त्रिशूल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-३८०००६, गुजरात, भारत" में है, निम्नलिखित शर्तों और नियमों पर:

कार्ड की वैधता और कार्डधारक की जिम्मेदारियाँ

1. कार्ड का मुद्रा और उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों के अधीन होगा।
2. कार्ड केवल भारत में लेनदेन विकल्पों के लिए मान्य होगा, जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमत है, एक्सिस बैंक ATM, और व्यापारी प्रतिष्ठानों पर वीसा/मास्टरकार्ड/रूपे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों पर।
3. कार्ड हमेशा और हर समय एक्सिस बैंक की संपत्ति होगी और इसे एक्सिस बैंक के अनुरोध पर बिना शर्त और तुरंत वापस किया जाना चाहिए। कार्डधारक से अनुरोध है कि वह कार्ड सौंपने से पहले बैंक के अधिकारी की पहचान स्थापित करें।
4. स्मार्ट पे कार्ड धारक द्वारा किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरित या असाइन नहीं किया जा सकता।
5. आपको कार्ड के प्राप्त होने पर तुरंत हस्ताक्षर करना चाहिए। आपको इसे किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और कार्ड का दुरुपयोग से सुरक्षित रखने के लिए कार्ड को हमेशा अपनी व्यक्तिगत नियंत्रण में रखना चाहिए।
6. कार्डधारक को कार्ड के साथ उपयोग के लिए जारी किया गया व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) या कार्डधारक द्वारा PIN के रूप में चुने गए कोई भी नंबर केवल कार्डधारक के लिए ज्ञात होंगे और कार्डधारक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं और हस्तांतरणीय नहीं हैं और पूरी तरह से गोपनीय हैं। पीआईएन नंबर का लिखित रिकॉर्ड किसी भी रूप, स्थान या तरीके में नहीं रखा जाना चाहिए जिससे किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग की सुविधा हो सके। पीआईएन को किसी भी तीसरे पक्ष को, न ही बैंक के कर्मचारियों को और न ही व्यापारी प्रतिष्ठानों को, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी तरीके से, चाहे स्वीच्छक हो या अन्यथा, प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।
7. कार्डधारक के कार्ड खाते से तुरंत किसी भी निकासी, ट्रांसफर और अन्य लेनदेन के लिए राशि काटी जाएगी जो कार्ड के उपयोग से की गई हैं। कार्डधारक अपने स्मार्ट पे कार्ड में किसी भी ऐसे लेनदेन को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे बनाए रखेगा।
8. कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करके उपलब्ध संतुलन राशि से अधिक धन निकालने का हकदार नहीं होगा।
9. कार्डधारक कार्ड के उपयोग द्वारा किए गए लेनदेन के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वह कार्डधारक द्वारा अधिकृत हो या नहीं, और किसी भी नुकसान या क्षति के लिए एक्सिस बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी कारण से हो सकती है।

कार्ड या संबंधित पिन का अनधिकृत उपयोग, जिसमें किसी भी उल्लंघन के कारण किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का समावेश होता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम १९९९ के तहत बनाए गए नियमों या भारत में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत हो सकता है, भले ही इस समझौते की समाप्ति हो गई हो।

10. आपसे अनुरोध किया जाता है कि ध्यान दें कि स्मार्ट पे कार्ड उस महीने/वर्ष के अंतिम दिन तक मान्य है जो दर्शाया गया है। आप एतद्वारा स्मार्ट पे कार्ड को समाप्त होने पर इसे कई टुकड़ों में काटकर नष्ट करने का वचन देते हैं। आपका नवीनीकृत स्मार्ट पे कार्ड आपके कार्ड की समाप्ति से पहले एक्सिस बैंक की विवेकाधीनता पर, आपके कार्ड खाते के व्यवहार के मूल्यांकन के बाद, आपको भेजा जाएगा। एक्सिस बैंक आपके कार्ड के समाप्त होने पर नवीनीकरण के लिए एकमात्र अधिकार रखता है।
11. प्रीपेड कार्ड में किसी भी अनउपयोगित या अननिकाली गई शेष राशि को अंतिम लेनदेन की तिथि से १० वर्षों की अवधि के लिए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (DEAF) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बैंक किसी भी प्रीपेड पेमेंट खाता में बकाया राशि के जल्दी से पहले ग्राहक को ४५ दिनों की अग्रिम सूचना भेजेगा, जो कि मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से और/या ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसे ग्राहक ने सेवाओं के उपयोग के लिए प्रदान किया है।
12. कार्डधारक को प्रीपेड भुगतान खाते में शेष राशि को भुनाने की अनुमति दी जाएगी, यदि किसी कारणवश योजना को समाप्त किया जा रहा है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे बंद करने का निर्देश दिया गया है।
13. कार्डधारक कार्ड का उपयोग क्रिप्टो मुद्रा की खरीद के लिए नहीं करेगा।

व्यापारी प्रतिष्ठान उपयोग

1. कार्ड सभी इलेक्ट्रॉनिक बिक्री बिंदु टर्मिनल पर स्वीकार किया जाता है जो भारत में व्यापारिक संस्थानों में VISA/Mastercard/RuPay लोगो प्रदर्शित करते हैं।
2. कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और इसे केवल उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्वीकार किया जाएगा जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनल है। कार्ड का कोई भी उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के अलावा होगा, उसे अनधिकृत समझा जाएगा और कार्डधारक उन लेनदेन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कृपया ध्यान दें कि स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करते समय व्यापारी प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल स्वाइप टर्मिनलों पर पीआईएन की आवश्यकता नहीं होती है।
3. आपको चार्ज पर्ची पर हस्ताक्षर करना होगा और जब भी कार्ड व्यापारी प्रतिष्ठानों पर उपयोग किया जाता है, आपको चार्ज पर्ची की अपनी प्रति बनाए रखनी होगी। एक्सिस बैंक चार्ज स्लिप की प्रतियां प्रदान नहीं करेगा। कोई भी चार्ज स्लिप जो आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं की गई है, लेकिन जिसे आपके द्वारा अधिकृत होने के रूप में सिद्ध किया जा सकता है, आपकी देनदारी मानी जाएगी।
4. स्मार्ट पे कार्ड भारत में किसी भी VISA/Mastercard/RuPay व्यापारी प्रतिष्ठान पर स्वीकार किया जाता है। एक्सिस बैंक किसी भी व्यावसायिक लेन-देन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा जो व्यापारी आपके साथ कर सकता है, जिसमें सामान और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है जो उपलब्ध कराई गई या पेश की गई हैं। यदि आपको किसी VISA/Mastercard/RuPay कार्ड व्यापारी प्रतिष्ठान से संबंधित कोई शिकायत है, तो आपको मामले का समाधान करना चाहिए।

व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ और ऐसा न करने पर आप पर एक्सिस बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।
5. एक्सिस बैंक किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा लेवी किए गए किसी भी शुल्क के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है जो लेनदेन के मूल्य/लागत

के अतिरिक्त आपकी कार्ड खाते में लेनदेन राशि के साथ डेबिट किया गया हो।

6. एक खरीद और माल/सेवाओं की रद्दीकरण के लिए बाद में दिया गया क्रेडिट दो अलग-अलग लेन-देन हैं। रिफंड केवल आपके कार्ड खाते में (रद्दीकरण शुल्क घटाकर) तब ही जमा किया जाएगा जब यह व्यापारी से प्राप्त होगा। यदि क्रेडिट आपके कार्ड खाते में रिफंड के दिन से ३० दिनों के भीतर पोस्ट नहीं किया जाता है, तो आपको एक्सिस बैंक को सूचित करना होगा, साथ में व्यापारी से क्रेडिट नोट की एक प्रति।
7. कार्ड का उपयोग किसी भी मेल ऑर्डर/फोन खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार का उपयोग अनधिकृत माना जाएगा।
8. कार्ड का उपयोग विदेशी पत्रिकाओं/जर्नल्स की सदस्यता के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह के उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा।

कार्ड बैलेंस और समाप्ति

1. कार्ड की वैधता कार्ड निर्माण की तारीख से ५ (पांच) वर्षों के लिए होती है।
2. स्मार्ट पे कार्ड उस महीने के अंतिम दिन तक मान्य है जैसा कि कार्ड पर समाप्ति तिथि में दर्शाया गया है।
3. कार्ड की समाप्ति की तारीख के बाद किसी भी बकाया राशि का हस्तांतरण, धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के नए समान भुगतान उपकरण पर, अनुमत्य हो सकता है।
4. आपके कार्ड में अधिकतम बकाया शेष राशि से अधिक नहीं हो सकती है। रु. १,००,००० किसी भी समय।

ATM का उपयोग

1. यह कार्ड भारत में सभी एक्सिस बैंक ATM और VISA/Mastercard/RuPay ATM* पर स्वीकार किया जाता है।
2. एक्सिस बैंक ATM पर सभी नकद निकासी के लिए, निकासी के समय ATM द्वारा जारी किए गए किसी भी विवरण/रसीद को अंतिम माना जाएगा, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा सत्यापित और सूचित नहीं किया गया हो। इस तरह की कोई भी सत्यापन अंतिम और निर्णायक होगी और यह सत्यापित राशि कार्डधारक पर बाध्यकारी होगी।
3. एक्सिस बैंक किसी सेवा को प्रदान करने या किसी दायित्व को पूरा करने में असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जहाँ ऐसी असफलता का कारण (चाहे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से) ATM या कार्ड का कोई खराबी, अस्थायी धन की कमी, कोई विवाद या अन्य परिस्थितियाँ हों जो इसके नियंत्रण से परे हों।
4. ATM सेवाओं की उपलब्धता संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई शर्तों के अधीन है और एक्सिस बैंक इन सेवाओं के बिना किसी पूर्व सूचना के वापस लिए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आपके स्मार्ट पे कार्ड पर VISA/Mastercard/RuPay ATM तक पहुँच बैंक और कंपनी के बीच सहमत शर्तों और नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है।

कार्ड निष्क्रियता

1. यदि एक वर्ष की लगातार अवधि के लिए कोई वित्तीय लेनदेन नहीं होता है, तो बैंक द्वारा कार्ड को कार्डधारक को सूचित करते हुए निष्क्रिय कर

दिया जाएगा।

2. कार्ड केवल बैंक शाखाओं और/या नामित व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहक सत्यापन के बाद ही पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
3. ऐसे कार्डों की रिपोर्ट RBI को उनके निर्देशों के अनुसार की जाएगी

शुल्क

1. एक्सिस बैंक बिना पूर्व सूचना के कार्डधारक पर बाद की तारीख में शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी कोई भी फीस, यदि हो, और जो लगाई की गई हो, आपका कार्ड खाता पर कार्डधारक की स्वीकृति/नवीनीकरण पर एक्सिस बैंक की प्रचलित दर पर डेबिट की जाएगी। ये शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे। अन्य सेवाओं के लिए शुल्क समान रूप से मौजूदा दरों पर लगाए जाएंगे।
2. आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप कार्ड का उपयोग किसी भी अवैध खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए नहीं करेंगे अर्थात् उन वस्तुओं/सेवाओं की खरीदारी जो RBI द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार अनुमति नहीं दी गई हैं।
3. नकद निकासी/संतुलन जांच के लिए लेनदेन शुल्क और/या जहाँ आवश्यक हो, नकद निकासी/संतुलन जांच या जहाँ आवश्यक हो, के पोस्टिंग के समय कार्ड खाते से काटा जाएगा।
4. स्मार्ट पे कार्ड के उपयोग पर लागू चार्ज/शुल्क को एक्सिस बैंक समय-समय पर कार्डधारक(ओं) को पूर्व सूचना दिए बिना संशोधित/बदला जा सकता है।
5. एक्सिस बैंक अपने अधिकारों का संरक्षण करता है कि वह समय-समय पर कार्ड पर लागू होने वाले लोडिंग / वार्षिक / नवीनीकरण शुल्क और अन्य सेवा शुल्क डेबिट कर सके।
6. एक्सिस बैंक को कार्ड के बंद होने / रद्द होने / सुविधा के हटने के समय बकाया राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से डेबिट करने का अधिकार है।

शुल्कों का विवरण	स्मार्ट पे कार्ड
मान्यता	५ वर्ष
नकद निकासी	हाँ
इश्यू फीस	₹ २००
वार्षिक शुल्क	₹ २००
लोडिंग फीस	₹ २०
कार्ड प्रतिस्थापन	₹ १००
पुनःदायी शुल्क	₹ १००
ATM नकद निकासी शुल्क - ओनस	शून्य
ATM कैश निकासी शुल्क- ऑफ-अस- महीने में पांच लेनदेन मुफ्त	₹ २०

गैर-आर्थिक लेनदेन - ओनस - बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट	शून्य
गैर-आर्थिक लेनदेन - ऑफ-अस- बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, पिन रीसेट - प्रति माह पांच लेनदेन मुफ्त	₹ १०

- सभी रकमें GST के बिना हैं

स्मार्ट पे कार्ड की विशेषताएँ

बैंक समय-समय पर, अपनी विवेकाधीनता पर, विभिन्न एजेंसियों के साथ साझेदारी कर सकता है ताकि आपके स्मार्ट पे कार्ड पर विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इन सभी सुविधाओं का उपयोग केवल सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर किया जाएगा, और बैंक किसी भी सेवा प्रदाताओं / व्यापारियों / आउटलेट्स / एजेंसियों द्वारा पेश की गई किसी भी उत्पाद या सेवा की प्रभावशीलता, दक्षता, या उपयोगिता की गारंटी या आश्वासन नहीं देता है। यदि कोई विवाद हो, तो उसे सीधे व्यापारी/एजेंसी आदि के साथ उठाना होगा, बिना बैंक को शामिल किए।

जानकारी का खुलासा

1. जब एक्सिस बैंक द्वारा अनुरोध किया जाए, तो आप किसी भी जानकारी, रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे जो एक्सिस बैंक आवश्यक समझता है। आप एक्सिस बैंक को यह जानकारी देने वाले स्रोत से सही जानकारी की पुष्टि करने के लिए अधिकृत करेंगे, जो भी आवश्यक समझा जाए। यदि डेटा प्रदान नहीं किया गया है या यदि गलत है, तो एक्सिस बैंक अपनी विवेकाधीनता पर कार्ड का नवीनीकरण अस्वीकार कर सकता है या कार्ड को तुरंत रद्द कर सकता है।
2. एक्सिस बैंक को किसी भी सक्षम न्यायालय, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य शाखा को ग्राहक की जानकारी प्रकट करने का अधिकार है।
3. एक्सिस बैंक का अधिकार है कि वह अन्य संस्थाओं को, कड़े गोपनीयता के साथ, कार्डधारक के खाते से संबंधित ऐसी जानकारी प्रकट करे जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में उसकी भागीदारी के संदर्भ में आवश्यक या उपयुक्त हो।

खोई हुई या चुराई गई कार्ड

1. स्मार्ट पे कार्ड के खो जाने या चोरी होने की सूचना तुरंत एक्सिस बैंक को दी जानी चाहिए। हालांकि आपातकालीन संपर्क नंबर के माध्यम से क्षति या चोरी की रिपोर्ट की जा सकती है, आपको इसे यथाशीघ्र एक्सिस बैंक को लिखित में पुष्टि करनी चाहिए। स्वीकृत पुलिस शिकायत की एक प्रति उक्त लिखित पुष्टि के साथ शामिल होनी चाहिए।
2. आप इस प्रकार एक्सिस बैंक को किसी भी देनदारी (नागरिक या आपराधिक), हानि, लागत, व्यय या क्षति के लिए पूरी तरह से मुक्त करते हैं जो कार्ड के खोने या उसके दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकती है, यदि इसे खो दिया गया है और एक्सिस बैंक को सूचित नहीं किया गया है

या खो दिया गया है और एक्सिस बैंक को सूचित करने से पहले इसका दुरुपयोग किया गया है।

3. यदि आपने सभी दृष्टिकोण से शर्तों और नियमों का पालन किया है, तो एक प्रतिस्थापन कार्ड एक्सिस बैंक की एकमात्र विवेकाधिकार पर लागू शुल्क पर जारी किया जा सकता है।
4. यदि आप बाद में कार्ड को पुनर्प्राप्त करते हैं, तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कृपया कार्ड को चुंबकीय पट्टी के माध्यम से कई टुकड़ों में काटकर नष्ट करें।

बयान और रिकॉर्ड

1. कार्डधारक किसी भी समय अपने लेनदेन का विवरण प्राप्त कर सकता है, चाहे वह एक्सिस बैंक फोन बैंकिंग सेवा पर कॉल करके हो या एक्सिस बैंक ATM में मिनी स्टेटमेंट सुविधा का उपयोग करके। कार्डधारक अपने विवरण को ऑनलाइन भी देख सकता है, जो कि एक्सिस बैंक द्वारा पेश किए गए कॉर्पोरेट पोर्टल का उपयोग करके है।
2. एक्सिस बैंक द्वारा कार्ड के उपयोग से संसाधित लेनदेन का रिकॉर्ड सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

विवाद

1. खरीद लेनदेन के मामले में, कार्डधारक के हस्ताक्षर के साथ एक चार्ज स्लिप और उस पर नोट किया गया कार्ड नंबर कार्डधारक और एक्सिस बैंक के बीच कार्डधारक द्वारा उठाए गए दायित्व के स्तर के लिए अंतिम प्रमाण होगा और एक्सिस बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारक ने खरीदी गई वस्तुओं / सेवाओं को कार्डधारक की संतोषजनकता के अनुसार प्राप्त किया है।
2. एक्सिस बैंक उचित और सही प्रयास करेगा कि वह एक प्रभावित कार्डधारक की असहमति को खाते के विवरण में दर्शाए गए लागू शुल्क या अन्यथा निर्धारित शुल्क के संबंध में हल करे।

ग्राहक द्वारा असहमति की सूचना की प्राप्ति के दो महीने के भीतर। यदि ऐसी कोशिशों के बाद, एक्सिस बैंक यह निर्धारित करता है कि शुल्क सही है, तो वह इसे कार्डधारक को सूचित करेगा।
3. एक्सिस बैंक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।
4. यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार व्याख्यायित और शासित किया जाएगा। सभी विवादों का विशेष क्षेत्राधिकार मुंबई, भारत के न्यायालयों के अधीन है, चाहे इस मामले में किसी अन्य न्यायालय का समान क्षेत्राधिकार हो या न हो।
5. कार्डधारक सभी लागतों के लिए उत्तरदायी होगा जो कि बकाया वसूलने, कानूनी खर्चों (यदि मामले को किसी एजेंट के पास संदर्भित करने की आवश्यकता हो) या जहां कानूनी संसाधनों का उपयोग विवाद के समाधान में किया गया है, से संबंधित हैं।

सामान्य

1. आपको अपनी नौकरी और/या कार्यालय और/या आवासीय पते और फोन नंबर में किसी भी परिवर्तन के बारे में एक्सिस बैंक को लिखित रूप में

तुरंत सूचित करना होगा।

2. एक्सिस बैंक कार्ड धारक को सूचित करके किसी भी शर्तों और नियमों, नीतियों, विशेषताओं और लाभों को जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार रखता है। स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग किसी भी ऐसे परिवर्तन की प्रभावी तिथि के बाद कार्डधारक द्वारा उन परिवर्तनों की बिना किसी आरक्षण के स्वीकृति का प्रमाण माना जाएगा।
3. यहां भेजा गया कोई भी नोटिस डाक द्वारा कार्डधारक द्वारा आखिरी बार लिखित रूप में एक्सिस बैंक को दिए गए पते पर सूचना भेजने के ७ दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा प्राप्त माना जाएगा। ऐसे साधनों द्वारा परिवर्तन का प्रकाशन जो एक्सिस बैंक उचित समझेगा, कार्डधारक को इस संबंध में प्रभावी सूचना स्थापित करेगा।
4. यदि एक कार्डधारक, कार्ड का उपयोग करके, उपलब्ध कार्ड बैलेंस से अधिक राशि निकालता है तो कार्डधारक अदृष्ट रूप से एक्सिस बैंक को पूरी राशि का भुगतान करेगा जो ओवरड्रोन किया गया है, ब्याज और दंड, यदि कोई हो, उस दर पर जो एक्सिस बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी। हालाँकि इसे एक समझौते के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित, कि एक्सिस बैंक किसी भी ओवरड्राफ्ट सुविधा को प्रदान करने के लिए बाध्य है।
5. एक्सिस बैंक तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किए गए सामान और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जो कार्डधारकों को लाभ जैसे कि छूट प्रदान करते हैं। एक्सिस बैंक किसी भी तरह से सेवा में कमी या अन्यथा असंतोषजनक होने की स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा।

डिजिटल चैनलों के उपयोग और शुल्क के लिए जोखिम, जिम्मेदारी और देयता

एक्सिस बैंक अपने डिजिटल चैनलों तक पहुँचने या उनका उपयोग करने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं लगाता है। बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाकर, ग्राहक जोखिम, जिम्मेदारी और देयता से संबंधित निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करता है और सहमत होता है।

1. ग्राहक की जिम्मेदारी:

ग्राहक को अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल, पंजीकृत मोबाइल नंबर, उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी की गोपनीयता और सुरक्षित उपयोग को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। किसी भी अनधिकृत पहुंच या दुरुपयोग के लिए जो ग्राहक के अंत में लापरवाही, सावधानीहीनता, या ऐसी जानकारी को सुरक्षित रखने में विफलता के कारण उत्पन्न होता है, उसकी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

2. सुरक्षा और धोखाधड़ी जोखिम:

बैंक उन नुकसानों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो फिशिंग, विशिंग, मालवेयर हमलों, उपकरणों के समझौते, या तीसरे पक्ष के धोखाधड़ी से उत्पन्न होते हैं, जब ऐसी हानि ग्राहक द्वारा बैंक के निर्देशों या सलाहों का उल्लंघन करते हुए क्रेडेंशियल्स, OTP, पिन, पासवर्ड, या अन्य गोपनीय जानकारी साझा करने या प्रकट करने के कारण होती है।

3. ग्राहक देयता

ग्राहक अपनी पंजीकृत मोबाइल संख्या, उपकरण, लॉगिन क्रेडेंशियल, पिन, पासवर्ड और OTP की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। किसी भी अनधिकृत लेन-देन के लिए जो ग्राहक द्वारा ऐसी जानकारी साझा करने या समझौता करने के कारण उत्पन्न होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

4. डिजिटल प्लेटफॉर्म से निरस्तीकरण।

कार्डधारक अपने प्रीपेड कार्ड से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी भी समय बैंक के निर्धारित चैनल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके रद्द करने का विकल्प चुन सकता है।

a. डिरिजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

रद्दीकरण को अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ग्राहक पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जा सकता है।

<https://prepaid-customer.axis.bank.in/customerportal/#/axis-login>>>लॉगिन>> डीरजिस्टर

>> OTP के माध्यम से सहमति / पुष्टि प्रदान करें >> सबमिट करें

b. डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीरिजिस्ट्रेशन के बाद

कार्डधारक अब प्रीपेड कार्ड से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और संबंधित डिजिटल सेवाओं तक पहुँच नहीं सकेगा, जो कि असंगति की प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन रद्द करना कार्डधारक को प्रीपेड कार्ड का उपयोग करने से नहीं रोकेगा। कार्डधारक कार्ड का उपयोग तब तक जारी रख सकता है जब तक उपलब्ध शेष राशि समाप्त नहीं हो जाती या कार्ड की समाप्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, लागू शर्तों के अधीन।

c. पुनः पंजीकरण

सफलता से निर्बंधन के बाद, यदि एक कार्डधारक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से पंजीकरण करना चाहता है, तो फिर से पंजीकरण ग्राहक पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

d. पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ग्राहक पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ किया जा सकता है।

<https://prepaid-customer.axis.bank.in/customerportal/#/axis-login>>> पंजीकरण करें यहाँ>> कार्ड के अंतिम ४ अंक/पैक संदर्भ संख्या, समाप्ति विवरण, मोबाइल नंबर दर्ज करें एवं सहमति प्रदान करें>> उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड सेट करें>> लॉगिन करें>> ग्रीन पिन>> नया ४ अंकों का पिन दर्ज करें>> OTP>> सबमिट करें।

शिकायतें अनधिकृत लेनदेन और ग्राहक शिकायतें

बैंक या ग्राहक की किसी भी अनधिकृत लेन-देन के लिए जिम्मेदारी होगी:

1. शून्य देयता ग्राहक की - ग्राहक की शून्य देयता का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब अनधिकृत लेन-देन निम्नलिखित तरीके से होता है:

- बैंक की ओर से योगदानात्मक धोखाधड़ी/ लापरवाही/ कमी (चाहे ग्राहक द्वारा लेन-देन की रिपोर्ट की गई हो या न हो)

- तीसरे पक्ष का उल्लंघन जहाँ कमी न तो बैंक में है और न ही ग्राहक में, बल्कि प्रणाली में कहीं और है, और ग्राहक बैंक को बिना अधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक से प्राप्त संचार के तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित करता है।
2. ग्राहक की सीमित देयता - एक ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए निम्नलिखित मामलों में देय होगा:
 - यदि हानि ग्राहक की लापरवाही के कारण हो, जैसे कि जब उसने भुगतान विवरण साझा किया हो, तो ग्राहक पूरी हानि वहन करेगा जब तक कि वह अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्ट बैंक को नहीं करता। अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्टिंग के बाद होने वाली कोई भी हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी।
 - यदि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी न तो बैंक पर है और न ही ग्राहक पर, बल्कि प्रणाली में कहीं और है और जब ग्राहक द्वारा बैंक को ऐसे लेनदेन की सूचना देने में देरी (बैंक से संचार प्राप्त करने के चार से सात कार्य दिवस बाद) होती है, तो ग्राहक की प्रति लेनदेन देयता लेनदेन के मूल्य या ₹ १०,०००/- में से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
 3. यदि ग्राहक, बैंक द्वारा अस्वीकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से प्राप्त सूचना के सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक की जिम्मेदारी बैंक की बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी। बैंक समान का मूल्यांकन करेगा और बैंक की बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार निर्धारित करेगा सहायता के लिए, जाएं www.axis.bank.in/support उद्घाटन विवरण के लिए, एक्सिस बैंक की वेबसाइट (www.axis.bank.in) पर जाएं और बैंक की शिकायत निवारण नीति को देखें <https://www.axis.bank.in/docs/default-source/default-document-library/grievance-grievance-redressal/grievance-redressal-policy.pdf> आप हमारे ग्राहक सेवा नंबर ०२२-६७९८७७०० पर भी संपर्क कर सकते हैं।
 4. बैंक उन ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा, ATM नकद निकासी को छोड़कर, प्रदान नहीं करेगा, जो बैंक को मान्य मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करते हैं।
 5. आपके द्वारा दिए गए निर्देशों और अन्य विवरणों (जिसमें किए गए या प्राप्त भुगतानों सहित, लेकिन इस तक सीमित नहीं) के सभी रिकॉर्ड, जो बैंक द्वारा यहां उल्लिखित शर्तों और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेज़ स्वरूप में रखे गए हैं, आपके खिलाफ ऐसे निर्देशों और अन्य विवरणों के निर्णायक प्रमाण के रूप में माने जाएंगे।
 6. रिपोर्टिंग के समय और/या खाते पर किए गए लेनदेन/लेनदेन से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक विवादित लेनदेन के समय और/या प्रामाणिकता की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और आपके कार्ड खाते में तीसरे पक्ष के धोखाधड़ी के कारण अनधिकृत लेनदेन के मामले में आपकी देनदारी उस स्थिति में होगी जहाँ आपने धोखाधड़ी में योगदान नहीं दिया है, इसे बैंक की स्वीकृत बोर्ड नीति "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देनदारी" के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों में कोई भी परिवर्तन उस समय पर लागू और बाध्यकारी होगा।

1. एक्सिस बैंक के पास स्मार्ट पे कार्ड या किसी अन्य सेवा को किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना और बिना किसी कारण के रद्द/वापस लेने का अधिकार है।
2. यदि कार्डधारक अपने स्मार्ट पे कार्ड की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो जारी किया गया कार्ड स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा। कार्डधारक को तुरंत अपने कार्ड का उपयोग करना बंद करना चाहिए और स्मार्ट पे कार्ड को नष्ट करके वापस करना चाहिए। यदि कोई लंबित कार्ड लेनदेन हैं जो अभी तक कार्ड खाते से डेबिट नहीं किए गए हैं, तो इन्हें एक्सिस बैंक से पहले संतुलन में से घटा दिया जाएगा। उन्हें उनके धन को लौटाना।
3. यदि कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक को एक्सिस बैंक को कम से कम ७ दिनों का पूर्व नोटिस लिखित रूप में देना होगा और कार्ड तथा किसी अतिरिक्त कार्डधारक कार्ड (यदि आवश्यक न हो) को कई टुकड़ों में काटकर, चुंबकीय पट्टी के माध्यम से, एक्सिस बैंक को तुरंत वापस करना होगा। कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड पर सभी कार्ड सुविधाओं और संबंधित चार्ज के लिए जिम्मेदार होगा जो कार्डधारक द्वारा कार्ड को नष्ट करने का दावा करने के बाद उत्पन्न होते हैं, इन शर्तों और नियमों की लागू होने की समाप्ति के बावजूद। कार्डधारक स्मार्ट पे कार्ड पर किए गए सभी शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे वे दुरुपयोग/धोखाधड़ी के कारण हों या न हों और चाहे बैंक को कार्ड के नष्ट होने की सूचना दी गई हो या नहीं।
4. स्मार्ट पे कार्ड एक्सिस बैंक की संपत्ति है और इसे एक्सिस बैंक के एक अधिकारी को तुरंत और बिना शर्त वापस करना होगा जब भी मांगा जाए। कृपया सुनिश्चित करें कि बैंक अधिकारी की पहचान आपके द्वारा स्थापित की गई है, इससे पहले कि आप अपना कार्ड सौंपें।
5. एक्सिस बैंक को निम्नलिखित घटनाओं में से किसी के होने पर तुरंत प्रभाव से Smart Pay Card सुविधा समाप्त करने का अधिकार होगा और कार्ड को लौटाया जाएगा:
 - यहाँ निर्धारित शर्तों और नियमों का पालन न करना।
 - एक अनुबंध या प्रतिबद्धता (संभावित या अन्यथा) के तहत डिफॉल्ट की घटना जो एक्सिस बैंक के साथ की गई है।
 - कार्डधारक का दिवालियापन, दिवालियापन की कार्यवाही या इसी प्रकार की कार्यवाहियों का विषय बनना।
 - कार्डधारक का निधन।
6. स्मार्ट पे कार्ड को एक्सिस बैंक में उन तारीखों से पहले लौटाया जाना चाहिए, जिस दिन किसी भी प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रभावी होने की तारीख है, यदि कार्डधारक किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन को अस्वीकार करता है।
कार्ड पर लागू होने वाले शुल्क या शर्तें और शर्तें।
7. यदि कार्डधारक को पिछले ६ महीनों में कॉर्पोरेट से कार्ड में कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं हुआ है और कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि शून्य है और/या कार्डधारक से वसूल की जाने वाली वार्षिक शुल्क से कम है, तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी कारण बताए कार्ड या अन्य सेवाओं को किसी भी समय रद्द/वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ये शर्तें और स्थिति और / या लेनदेन भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित होंगे और मुंबई में सभी न्यायालयों का कार्ड के उपयोग से उत्पन्न किसी भी दावे या मामले के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।